न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 03/2011

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये प्रहलाद मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, छबड़ा/छीपाबडौद, जिला–बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1. मेसर्स अभिषेक ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
2. मेसर्स कैलाश ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
3. मेसर्स श्याम ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
4. मेसर्स अग्रवाल ट्रेडस, हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
5. मेसर्स मित्तल ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
6. मेसर्स जगदीश ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
7. मेसर्स गोपाल किराना, हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
8. मेसर्स पालीवाल ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
9. श्री अमर सिंह पुत्र गोपी लाल, जाति नाई, निवासी छाण तहसील व जिला राजगढ (म.प्र.)
10. श्रीमती पार्वती बाई पत्नि श्री रमेश चंद सोऊ, निवासी धानमंडी मनोहर थाना जिला झालावाड (राज0) ।
11. मेसर्स जी.एन. ट्रेडर्स, 26, वेयर हाउस रोड, सियागंज इन्दौर ।
12. मेसर्स रवि ट्रेडर्स, गोडाउन, 12/3,4,5 पटेल ब्रीज जवाहर मागै इन्दौर ।

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री गजेन्द्र पंचौली, अभिभाषक (अप्रार्थी कम 9 व 10)

निर्णय दिनांक– 18.11.2022

1– प्रार्थी श्री प्रहलाद मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, छबड़ा/छीपाबड़ौद ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि जिला रसद अधिकारी, बारां [illegible] फाईल पर दिये गये आदेश की पालना में मनोहरथाना जिला झालावाड़ में चीनी [illegible] होने की शिकायात में जांच हेतु पहुंचा। वहां उपखण्ड अधिकारी, [illegible] से भरे ट्रक नंबर आर.जे. 19 जी.ए. 0040 को रोक रखा था उसमें 190 क्वि. चीनी भरी हुई थी। 190 क्वि. [illegible] मे से वाहन चालक से लिये गये बिलो के अनुसार 40 क्वि. चीनी मनोहर थाना की फर्म [illegible] ट्रेडर्स की थी, जो उपजिला कलक्टर मनोहरथाना द्वारा जब्त की गयी तथा शेष 150 क्वि. चीनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हरनावदा शाहजी की फर्मो की थी। ट्रक को मय 150 क्विन्टल चीनी को अधीन कर थानाधिकारी हरनावदाशाहजी की सुपुर्दगी में दिया। हरनावदा शाहजी की संबंधित फर्मो से सम्पर्क कर लाईसेंस मांगने पर उनमें से किसी ने भी आर.टी.ए.एल लाईसेंस नहीं दिया और उन्होंने लाईसेंस नहीं होना बताया तथा न ही बयान दिये। बिलो के अनुसार कुल मात्रा 155 क्वि. बनती है जबकि धांग (चट्ठा) गिनती से यह मात्रा 150 क्वि. पाई गई। कुल 8 फर्मो के प्राप्त बिलों के अनुसार 7 फर्मो के प्रत्येक के 20 क्वि. तथा एक फर्म के 15 क्वि. मात्रा के बिल है। बिलों के तथा उपलब्ध मात्रा के अनुसार यह मात्रा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश, 1980 में बिना लाईसेंस के निर्धारित अधिकतम मात्रा 10 क्वि. से अधिक है। यह मात्रा बगैर लाईसेंस व्यापार करने की श्रेणी में आती हैं। प्रार्थी द्वारा द्वारा उक्त चीनी 150 क्वि. मय बारदाना एवं ट्रक दिनांक 20.06.2011 को जब्त कर पुलिस थाना हरनावदा शाहजी को सुपुर्द किया गया। ट्रक मालिक व ट्रक ड्राईवर द्वारा सम्पूर्ण बिल, बिल्टी की जांच किये बिना चीनी का परिवहन किया जाकर उक्त फर्मो का सहयोग किया है, जो राजस्थान वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्यत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 3 व 18 का उल्लघंन है। अतः जप्तशुदा चीनी, मय बारदाना तथा ट्रक नं. आर.जे. 19 जी. ए. 0040 को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी क्रम 9 व 10 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी क्रम 9 व 10 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ तथा लिखित बहस पेश की।

3– बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दूरभाष पर प्राप्त शिकायत अनुसार उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार मनोहरथाना पहुंचकर जांच की वहां चीनी से भरे ट्रक नं. आर.जे. 19 जी. ए. 0040 मे 190 क्वि. चीनी भरी हुई थी। जिसे उप जिला कलक्टर, मनोहरथाना द्वारा रोक रखा था। ड्राईवर द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर 190 क्वि. मे से 40 क्वि. चीनी मनोहर थाना की फर्म पवन ट्रेडर्स की थी, जो उपजिला कलक्टर मनोहरथाना द्वारा जब्त की गयी तथा शेष 150 क्वि. चीनी हरनावदा की फर्मो की थी। ट्रक को मय 150 क्विन्टल चीनी को जब्त कर थानाधिकारी हरनावदाशाहजी की सुपुर्दगी में दिया। हरनावदा शाहजी की संबंधित फर्मो से सम्पर्क कर लाईसेंस मांगने पर उनमें से किसी ने भी आर.टी.ए.एल लाईसेंस नहीं दिया और उन्होंने लाईसेंस नहीं होना बताया तथा न ही बयान दिये। बिलो के अनुसार कुल मात्रा 155 क्वि. बनती है जबकि धांग (चट्ठा) गिनती से यह मात्रा 150 क्वि. पाई गई। कुल 8 फर्मो के प्राप्त बिलों के अनुसार 7 फर्मो के प्रत्येक के 20 क्वि. तथा एक फर्म के 15 क्वि. मात्रा के बिल है। बिलों के तथा उपलब्ध मात्रा के अनुसार यह मात्रा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश, 1980 में बिना लाईसेंस के निर्धारित अधिकतम मात्रा 10 क्वि. से अधिक है। यह मात्रा बगैर लाईसेंस व्यापार करने की श्रेणी में आती हैं। अतः जप्तशुदा चीनी, मय बारदाना तथा ट्रक नं. आर.जे. 19 जी. ए. 0040 को 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी कम 9 व 10 ने प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परिवादी ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ड्राईवर अमरसिंह ने बताया है कि 40 बोरी शक्कर मनोहर थाना में पवन साहू की फर्म पवन ट्रेडर्स के यहां उतार दी गई थी ट्रक ड्राईवर के पास 10 फर्मो के नाम यह बिल कटे हुए थे। यह बिल इन्दौर की दो फर्म मैसर्स रवि ट्रडर्स एवं फर्म जी.एन. ट्रेडर्स ने अप्रार्थी न. 1 से 8 तक के नाम कटे हुये थे। मौके पर हरनावदाशाहजी के फर्मो के बिल ड्राइवर ने परिवादी को दिये। जिस पर परिवादी ने थाने में 8 बिल वाले व्यापारिक दुकानदारों को बुलाया एवं वहां मौजूद गवाहान सुरेन्द्र सिंह सोनगरा पुत्र श्री नंदसिंह हरनावदाशाहजी की उपस्थिति में शक्कर की बोरियों की गिनती की गई एवं बिल वाले दुकानदारों को बुलाया गया जिन्होंने परिवादी से कहा कि उनके पास आर.टी.ए.एल. लाइसेंस नहीं है बयान देने के लिये उनसे कहा तो उन्होंने लिखित में बयान देने से मना कर दिया। बाद में श्रीमान के न्यायालय में यह इस्तगासा प्रस्तुत हो गया। परन्तु समस्त गैरसायलान में से केवल ट्रक मालिक व ड्राईवर उपस्थित आया शेष अनुपस्थित रहे इस प्रकार दौराने जांच ट्रक मालिक व ड्राईवर ने प्रशासन को जांच में पूर्ण सहयोग किया ट्रक ड्राइवर व मालिक को आर.टी.ए.एल. लाइसेंस व चीनी का आवश्यक वस्तु होने के बाबत् प्रतिबंध के बारे में कोई जानकारी नही थी एवं यह भी सामान्य अवधारणा है कि ट्रक में माल लादते समय केवल माल के बिल व बिल्टी ट्रान्सपोर्ट से मिलती है दुकानदारों के बाबत् यह जानकारी नहीं होती है कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं यहां पर तो ड्राइवर समस्त चीनी को बिल के द्वारा लाया है एवं हरनावदाशाहजी थाने में बिल वाले दुकानदारों ने परिवादी के सामने शक्कर को स्वयं की होना बताया है। परन्तु उन्होंने बयान नहीं दिया एवं नही न्यायालय श्रीमान में हाजिर हुए जिसका दोष ड्राइवर एवं ट्रक मालिक पर नहीं डाला जा सकता है। दोष का दण्ड श्रीमान ने दुकानदारों की शक्कर को नीलाम करके वसूल कर लिया है। जिससे ट्रक मालिक व ड्राईवर के प्रति उदारता का रूख अपनाकर बिना किसी जुर्माने के ट्रक को छोड़ा जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में है। राज. ट्रेड आटिकल्स लाइसेंस आर्डर 1980 के अनुसार चीनी कन्ट्रोल आईटम नहीं है परन्तु कानून में यह व्यवस्था है कि चीनी के खुदरा व्यापारियों को व थोंक व्यापारियों को क्रय–विक्रय करने के लिये लाइसेंस लेना पडेगा एवं खुदरा व्यापारी 9 बोरी शक्कर तक अपने कब्जे में रखा सकता है। इसलिये चीनी के कन्ट्रोल आईटम नहीं होने की वजह से अनावश्यक नोनीसियशल वस्तु की श्रेणी में आता है जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय पारित कर अवधारणा बनायी है कि कन्ट्रोल आर्डर नोनीसियशल लागू नहीं होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1995 ई.एफ.आर. पेज 141 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार इस प्रकरण में ट्रक को जप्त राज नही किया जा सकता है एवं नहीं उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है क्योंकि ट्रक ड्राईवर का स्वार्थ केवल ट्रक के भाडे तक सीमित है। उसका उद्देश्य आव[illegible] का ब्लैक करके अनाधिकृत लाभ कमाने का नहीं था। इस प्रकार गै[illegible] ड्राईवर को ट्रक नं. आर. जे. 19 जी. ए. 0040 जर्ये सुपुर्दगीनामा [illegible] जा चुका है। तथा जप्त शुदा चीनी की खुली नीलामी कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जा चुका है। अतः अप्रार्थी कम 9 व 10 के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलैक्टर
बारां (राज०)

6— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि श्री प्रहलाद मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, छबड़ा/छीपाबड़ौद द्वारा मनोहर थाना में जब्तशुदा चीनी से भरे ट्रक नं. आर.जे. 19 जी. ए. 0040 से 150 क्वि. चीनी हरनावदा शाहजी की फर्मो की थी। तथा उक्त फर्मों के मालिकों को मौके पर बुलाकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा आर.टी.ए.एल. का लाईसेंस नहीं होना बताया तथा उनके नाम पर पाये गये बिलों में चीनी की मात्रा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश, 1980 के तहत निर्धारित मात्रा से अधिक पाया जाना उक्त आदेश का उल्लंघन है। अतः जप्तशुदा चीनी, मय बारदाना को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 150 किग्रा. चीनी मय बारदाना को राजसात किया जाता है। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी बारां द्वारा जप्त शुदा चीनी की खुली नीलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जा चुका है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:29 IST
Reason: SelfAttested